[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।I, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 16 /2017- संघ राज्यक्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2017- - संघ राज्यक्षेत्र कर, तारीख 27 जून, 2017, सा.का. नि. 648 (अ), तारीख 27 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।I, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, शब्द ''पचत्तर लाख रूपये'' के स्थान पर ''एक करोड़ रूपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग.III)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार